राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2021/28 बअनवान सुमटी बनाम गोमाराम वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18/08/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित वादी अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी एवं प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि वादीनी द्वारा अपने उक्त वाद के माध्यम से ग्राम माताजी वाडा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 139, 140, 141, 142, 143, 225, 227 कुल खसरा 07 कुल रकबा 8.49 हैक्टर के अधिकार अभिलेखों में दर्ज वादीनी के 1/7 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एंड बाउण्ड्स के विभाजन की मांग की जा रही है। इसके विपरीत प्रतिवादी पक्ष द्वारा यह दलील दी जा रही है कि रिकॉर्ड में दर्ज 1/7 हिस्सा के अनुसार वादीनी को भूमि का विभाजन करवाने से प्रतिवादीगण द्वारा कभी एतराज नहीं किया। प्रतिवादीगण सदैव बंटवाडा करवाये जाने हेतु तत्पर रहे है। वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त वाद पेश किया है। इसके साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में वर्णित किया कि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम गोंमाराम दर्ज है, जबकि प्रतिवादी संख्या 01 का सही नाम गोपाल है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 का नाम गोमाराम की बजाय गोपाल अंकित किये जाने का निवेदन किया। इसके साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा जवाब में यह वर्णित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 6/3 ममता ने अपने निहीत 1/28 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 6/1 मोहनलाल के पक्ष में दिनांक 28.10.2020 को हक तर्क नामा करवा देने से रिकॉर्ड से ममता का नाम विलोपित कर मोहनलाल पुत्र भीमाराम का वादग्रस्त भूमि में 1/14 हिस्सा होने से इसी अनुसार विभाजन किये जाने की दलील दी गई। वादी पक्ष द्वारा वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के अतिरिक्त कोई अन्य मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये। इसी प्रकार प्रतिवादी पक्ष द्वारा भी अपने जवाबदावा के समर्थन में कोई समुचित मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि वादीनी के वादपत्र अनुसार बाई मिट्स एंड बाउण्ड्स के विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.12.21 को जारी की गई। जिस आदेश को वादीनी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में चुनौती दी गई। जो अपील संख्या 1ए/2022 सुमटी बनाम गोमाराम वगैरा दिनांक 08.09.2023 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा स्वीकार करते हुये प्रकरण को पुनः रिमाण्ड करते हुये पक्षकारान को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि में प्रदत्त प्रकिया का पालन करते हुये विधि अनुसार निर्णय पारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय से पत्रावली प्रतिपेषण से प्राप्त होने के पश्चात् वादीनी एवं प्रतिवादी पक्ष दोनो पक्षो को अपने–अपने साक्ष्य प्रस्तुती के लिये न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय/अवसर दिये जाने के बावजुद वादीनी व प्रतिवादी पक्ष दोनो के द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। जिससे तमाम तथ्यो के अवलोकन से यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादीनी स्वयं रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार विभाजन कराने पर पर सहमत नहीं है, क्योंकि वादी यदि वादीनी अपनी सह खातेदारी भूमि का विभाजन करवाना चाहती तो न्यायालय द्वारा दिनांक 1.12.2021 को जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन रिपोर्ट तलब करवाती, परन्तु वादीनी द्वारा ऐसा नहीं करके अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में की गई। तथा अपील निर्णय के पश्चात् पत्रावली पुनः इस न्यायालय को प्राप्त होने के बाद भी वादीनी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये। इसी प्रकार	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

प्रतिवादीगण भी प्रतिवादी संख्या–01 का नाम गोमाराम के बजाय गोपाल सम्मानजनक दर्ज करवाने के साथ प्रतिवादी संख्या–6/3 ममता पुत्री मोहनलाल का नाम विलोपित कर प्रतिवादी संख्या 6/1 मोहनलाल पुत्र भीमाराम का 1/28 हिस्सा की बजाय 1/14 हिस्सा दर्ज किये जाने की मांग करते है। परंतु इनके द्वारा भी कोई मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये है। जिससे वादीनी का वाद व प्रतिवादीगण का काउण्टरक्लेम स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः वादीनी द्वारा ग्राम माताजी वाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 139, 140, 141, 142, 143, 225, 227 कुल खसरा 07 कुल रकबा 8.49 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टरक्लेम अदम सबूत खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner